फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री आनन्द रेगर निवासी वार्ड नं. 11, रेगर मोहल्ला, राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 52/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 01.07..2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– RTI/न्याय/2025/36 दिनांक 10/06/2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक श्री आनन्द रेगर निवासी वार्ड संख्या 11, रेगर मोहल्ला, राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा पुलिस थाना राजनगर में दर्ज मर्ग संख्या 09/2025, मृतक श्री प्रेम सिंह संबंधी पत्रावली में इस कार्यालय से स्वीकृत होने वाली स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रति चाही है। उक्त मर्ग पत्रावली इस कार्यालय में विचाराधीन है जिसमें गवाहन के बयान शेष है। गवाहन के बयान के उपरान्त ही मर्ग पत्रावली स्वीकृत किया जाना है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना राजनगर में दर्ज मर्ग संख्या 09/2025, मृतक श्री प्रेम सिंह संबंधी पत्रावली में इस कार्यालय से स्वीकृत होने वाली स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रति चाही गई, जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार उक्त मर्ग पत्रावली इस कार्यालय में विचाराधीन है जिसमें गवाहन के बयान शेष है। गवाहन के बयान के उपरान्त ही मर्ग पत्रावली स्वीकृत किया जाना है। इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई मर्ग संख्या 09/2025, मृतक श्री प्रेम सिंह संबंधी पत्रावली की स्वीकृति पत्र की प्रमाणित प्रति आप कार्यालय में विचाराधीन मर्ग पत्रावली के स्वीकृत होते ही अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करा कर रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजावे। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)